भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2189

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश में यूरिया की कमी

2189. सुश्री इकरा चौधरी:
श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान यूरिया की मांग और आवंटन का विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य/जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) निजी व्यापारियों द्वारा राजसहायता वाले यूरिया की विशेष या थोक खरीद को रोकने और छोटे एवं सीमांत किसानों को इसकी उचित एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या राज्य में एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) के अंतर्गत आवंटन में कोई विसंगति पाई गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार द्वारा किसानों के लिए निर्धारित राजसहायता वाले यूरिया और डीएपी भंडार को अनधिकृत निजी व्यापारियों या थोक उपभोक्ताओं को दिए जाने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चल रहे खरीफ मौसम 2025 (28.07.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में यूरिया की मांग, आवंटन/उपलब्धता और बिक्री के संबंध में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना उर्वरक विभाग का अधिदेश है। हालांकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख): निजी व्यापारियों/सहकारी समितियों/मार्कफेड आदि को उर्वरकों का आवंटन राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक राज्य में भिन्न होते हैं।

इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) कृषि और किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग): राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(घ): उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों के विपथन को रोकने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उर्वरकों के विपथन में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के अंतर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

हालाँकि, उर्वरक विभाग ने प्रति खरीदार सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की अधिकतम सीमा 50 बोरी प्रति माह अर्थात सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की 600 बोरी प्रति वर्ष तय की है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले के 'शीर्ष 20 खरीदारों' की मासिक सूची संबंधित जिलाधिकारियों के आईएफएमएस लॉग-इन में उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2189 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

चल रहे वित्त वर्ष 2025-26 (01.04.25 से 28.07.25 तक) के दौरान यूरिया की मांग, आवंटन/उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया		
क्र.सं.	**राज्य**	**मांग**	**आवंटन/उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2.89	5.69	3.38
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.01	0.01
4	असम	1.02	1.88	1.41
5	बिहार	4.75	7.11	3.58
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	5.85	6.53	5.28
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.08	0.08	0.07
11	गोवा	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	7.34	7.34	6.05
13	हरियाणा	6.78	9.34	8.50
14	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.43	0.26
15	जम्मू और कश्मीर	0.67	1.19	0.69
16	झारखंड	1.01	1.32	0.84
17	कर्नाटक	6.59	8.90	7.60
18	केरल	0.35	0.54	0.38
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	9.76	13.63	11.56
21	महाराष्ट्र	10.05	14.46	10.94
22	मणिपुर	0.10	0.09	0.07
23	मेघालय	0.02	0.02	0.02
24	मिजोरम	0.05	0.10	0.09
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.00
26	ओडिशा	2.71	4.02	2.36
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.05
28	पंजाब	13.49	15.70	13.10
29	राजस्थान	6.04	9.24	7.20
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.62	4.48	3.38
32	तेलंगाना	6.45	6.47	4.99
33	त्रिपुरा	0.05	0.12	0.05
34	उत्तराखंड	0.69	0.98	0.86
35	उत्तर प्रदेश	22.53	31.87	22.66
36	पश्चिम बंगाल	3.80	6.71	3.09
	अखिल भारत	**115.91**	**158.34**	**118.47**

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: आवंटन/उपलब्धता>मांग

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: आवंटन/उपलब्धता>बिक्री